ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

भारत की राजनीति में मतदान व्यवहार की भूमिका

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार

मतदान व्यवहार प्रत्येक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसी देश की राजनीतिक दशा व दिशा तय करता है। मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग मत व्यक्त किए हैं।उल्लेखनीय है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि भारत के नागरिकों को मतदान करने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक निश्चित आयु पूर्ण कर लेने के बाद उन्हें मतदान करने के लिए पात्र माना जाएगा। पहले भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यानी अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होता है। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनःस्थिति से होता है, जिससे प्रभावित होकर कोई मतदाता मतदान करता है। यानी मतदान व्यवहार इस बात को इंगित करता है कि लोगों ने क्या सोचकर मतदान किया है। मतदाताओं का मतदान व्यवहार सार्वजनिक चुनावों के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान व्यवहार एक राजनीतिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है।ओइनम कुलाबिधु के अनुसार – "मतदान व्यवहार मतदाताओं का ऐसा व्यवहार होता है, जो उनकी पसंद, वरीयताओं, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों इत्यादि को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये कारक समाज व राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से संबंधित होते हैं।"दूसरे शब्दों में, मतदान व्यवहार एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है, जिसके तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार मतदान करते हैं। यानी मतदान के समय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाने वाला मनोभाव, मतदान व्यवहार कहलाता है।

परिचय

मतदान व्यवहार के माध्यम से 'राजनीतिक समाजीकरण' (Political Socialization) की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है। राजनीतिक समाजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित की जाती है। **राजनीतिक समाजीकरण** की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना होता है।मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात की जांच की जा सकती है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति धारणा कैसी है। इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की लोकतंत्र के प्रति सोच को समझने में सहायता मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति अधिकार या दायित्व बोध महसूस करते हुए मतदान करता है, तो उसे लोकतंत्र के प्रति आस्थावान व्यक्ति समझा जाता है।[1,2] उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नोटा के रूप में मतदान करता है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में वह किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके द्वारा उठाए जाने वाले चुनावी मुद्दों को पसंद नहीं करता है।मतदान व्यवहार इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि चुनावी राजनीति किस सीमा तक पूर्ववर्ती राजनीतिक मुद्दों से संबंध रखती है। यदि गहराई से अवलोकन करें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक चुनाव में कुछ चुनावी मुद्दे हर बार लगभग समान होते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी, बेरोजगारी, विकास, महंगाई इत्यादि मुद्दों के इर्द-गिर्द प्रत्येक चुनाव घूमता है। इसका अर्थ है कि मतदाता इन मुद्दों से काफी हद तक प्रभावित होकर मतदान करता है, इसीलिए प्रत्येक चुनाव में ये मुद्दे चुनावी राजनीति का हिस्सा होते हैं।

ऐसे विभिन्न कारक मौजूद हैं, जो भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारकों का विवरण निम्नानुसार है-

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

- जाति : भारत की सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित है, इसीलिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली में इसका अच्छा खासा प्रभाव होता है। राजनेता के राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में, रजनी कोठारी ने यह कहा भी कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत हैं।
- धर्म : विभिन्न राजनीतिक दल और राजनेता चुनावी लाभ अर्जित करने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और इनके वशीभूत होकर लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं।
- भाषा : उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में 'भाषा' मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। विशेष रूप से, तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी व गैर हिंदी भाषा का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता है। भाषा भी लोगों के मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।
- क्षेत्रवाद : उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत अधिक प्रभावी होता है। विभिन्न चुनावों के दौरान अनेक राजनेताओं के संबंध में दूसरे राज्यों के लोग बाहरी होने का आरोप लगाते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि उस राज्य के लोग किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को वोट न दें। यह कारक भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।[3,4]
- मतदाता की आर्थिक स्थिति : ऐसे मतदाता चुनाव में अधिक रूचि लेते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इसके विपरीत, निर्धन मतदाता, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले लोग अपनी दैनिक मजदूरी की कीमत पर मतदान को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं। यदि निर्धन लोग मतदान को प्राथमिकता देंगे, तो इससे उनकी दैनिक मजदूरी पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अतः मतदाता की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।
- राजनीतिक स्थिरता की इच्छा : यदि मतदाताओं को इस बात का आभास हो जाए कि अमुक राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर सकता है और इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल देश में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में, मतदाता सामान्यतः राजनीतिक स्थिरता कायम करने में सक्षम राजनीतिक दल को ही अपना मत देते हैं। यानी यह कारक भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है।
- धन की भूमिका : चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। विशेष रूप से, गरीब देशों में राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को धन का लालच दिया जाता है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते हैं और इससे चुनावी परिणामों में भी परिवर्तन हो जाता है।
- शिक्षा : शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित लोग अपने हितों की परवाह किए बिना राजनेताओं या राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार होकर मतदान करते हैं। इसके विपरीत, शिक्षित लोग अपने हितों के मद्देनजर मतदान करते हैं। इसके अलावा, आजकल मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

विचार-विमर्श

मतदान व्यवहार, जिसे चुनावी व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है, में उन कारकों और कारणों को समझना शामिल है जो मतदान पैटर्न को प्रभावित करते हैं।मतदान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही विशेषज्ञता आवश्यक थी और इसलिए चुनावी मनोविज्ञान सहित राजनीतिक मनोविज्ञान के क्षेत्र का उदय हुआ।मतदान व्यवहार की परिभाषा निम्नलिखित समाजशास्त्रियों और राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा मतदान व्यवहार को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है समाजशास्त्री गॉर्डन मार्शल के अनुसार: "मतदान व्यवहार का अध्ययन हमेशा इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग सार्वजनिक चुनावों में मतदान क्यों करते हैं और वे कैसे पहुंचते हैं। राजनीतिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर - स्टीफन वासबी (न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी, राजनीति विज्ञान विभाग) के अनुसार: "मतदान व्यवहार के अध्ययन में व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक मेकअप और राजनीतिक कार्रवाई के साथ-साथ उनके संबंध का विश्लेषण शामिल है।[5,6] **संस्थागत पैटर्न,** जैसे संचार प्रक्रिया और चुनावों पर उनका प्रभाव। मतदान व्यवहार का महत्व मतदान व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन को सेफोलॉजी के रूप में जाना जाता है। मतदान का दर्ज इतिहास शास्त्रीय पुरातनता के ग्रीक शहर-राज्यों में वापस जाता है। मतदान व्यवहार, सेफोलॉजी के अध्ययन के लिए आधुनिक दुनिया, शास्त्रीय ग्रीक 'प्रेस्फोस' से निकला है, मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा जिस पर कुछ वोट, मुख्य रूप से राज्य के

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

लिए खतरनाक माने जाने वालों का निर्वासन अंकित किया गया था। मतदान व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

- यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है
- यह अभिजात वर्ग के साथ-साथ जनता के बीच एक मूल्य के रूप में लोकतंत्र के आंतरिककरण की जांच करने में मदद करता है।
- यह क्रांतिकारी मतपेटी के वास्तविक प्रभाव पर जोर देता है
- यह इस बात पर प्रकाश डालने में सक्षम बनाता है कि चुनावी राजनीति कितनी दूर तक चलती है या अतीत से टूटती है
- यह मापने में मदद करता है कि यह राजनीतिक विकास के संदर्भ में आधुनिक या आदिम है

भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारकभारतीय समाज प्रकृति और संरचना में अत्यधिक विविधतापूर्ण है। इसलिए, भारत में मतदान का व्यवहार कई कारकों से निर्धारित या प्रभावित होता है। मोटे तौर पर, इन कारकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक-आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक उन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया है:

- जाति: जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। राजनीति में जातिवाद और जातिवाद का राजनीतिकरण भारतीय राजनीति की एक विशेषता रही है। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारक को ध्यान में रखते हैं।

एक निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी और महत्वपूर्ण जातियाँ या तो अपने मामले के एक सम्मानित सदस्य या एक राजनीतिक दल का समर्थन करती हैं, जिसके साथ उनकी जाति की पहचान होती है। हालांकि, स्थानीय गुट और स्थानीय-राज्य गुटीय गठबंधन, जिसमें अंतर-जाति गठबंधन शामिल हैं, भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।

- धर्म: धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो चुनावी व्यवहार को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार करते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। विभिन्न सांप्रदायिक दलों के अस्तित्व ने धर्म के राजनीतिकरण को और बढ़ा दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद, कोई भी राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की उपेक्षा नहीं करता है।
- भाषा: लोगों के भाषाई विचार उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चुनावों के दौरान, राजनीतिक दल लोगों की भाषाई भावनाओं को जगाते हैं और उनके निर्णय लेने को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। भाषा के आधार पर (1956 और बाद में) राज्यों का पुनर्गठन स्पष्ट रूप से भारत की राजनीति में भाषा कारक के महत्व को दर्शाता है।

तमिलनाडु में DMK और आंध्र प्रदेश में TDP के उदय का श्रेय भाषावाद को दिया जा सकता है।

- क्षेत्र: **क्षेत्रवाद और उप-क्षेत्रवाद** मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उप-राष्ट्रवाद की इन संकीर्ण भावनाओं ने विभिन्न राज्यों में स्थायी क्षेत्रीय दलों का उदय किया। ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से अपील करते हैं। कभी-कभी, अलगाववादी दल चुनावों के बहिष्कार का आह्वान करते हैं।[7,8]
- व्यक्तित्व: पार्टी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावी व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, जवाहरलाल नेहरू (14 नवंबर, 1889 को जन्म), इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टियों के पक्ष में मतदान करने के लिए काफी प्रभावित किया था।

राज्य स्तर पर भी, क्षेत्रीय दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावों में लोकप्रिय समर्थन का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

- पैसा: वोटिंग व्यवहार को समझाने में मनी फैक्टर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चुनावी खर्च की सीमाओं के बावजूद, चुनाव पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। मतदाता अपने वोट के बदले पैसे या शराब या सामान मांगते हैं।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

दूसरे शब्दों में, 'नोट' के लिए 'वोट' का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान किया जाता है। हालाँकि, धन सामान्य परिस्थितियों में निर्णयों को प्रभावित कर सकता है न कि लहर चुनाव में सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन: चुनाव की पूर्व संध्या पर, प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है जिसमें उसके द्वारा मतदाताओं से किए गए वादे होते हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन को मतदाता उसके चुनावी घोषणापत्र के आधार पर आंकते हैं।1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार और 1980 के चुनावों में जनता पार्टी की हार दर्शाती है कि सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार सत्ता-विरोधी कारक (जिसका अर्थ है सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन से असंतोष) चुनावी व्यवहार का एक निर्धारक है।पार्टी की पहचान: राजनीतिक दलों के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव मतदान व्यवहार को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। जो लोग किसी विशेष पार्टी के साथ अपनी पहचान रखते हैं, वे हमेशा उस पार्टी को वोट देंगे, चाहे उसकी चूक और कमीशन कुछ भी हो। 1950 और 1960 के दशक में पार्टी की पहचान विशेष रूप से मजबूत थी। हालांकि 1970 के दशक के बाद से, मजबूत पार्टी पहचानकर्ताओं की संख्या में गिरावट आई है।विचारधारा: एक राजनीतिक दल द्वारा घोषित राजनीतिक विचारधारा का मतदाताओं के निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ता है। **समाज में कुछ लोग सांप्रदायिकता, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विकेंद्रीकरण आदि जैसी कुछ विचारधाराओं के लिए प्रतिबद्ध हैं।** ऐसे लोग उन विचारधाराओं को मानने वाली पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं।अन्य कारक: ऊपर बताए गए कारकों के अलावा, कई अन्य कारक भी हैं, जो भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:(i) चुनाव से पहले की राजनीतिक घटनाएँ जैसे युद्ध, हत्या, एक नेता की हत्या, भ्रष्टाचार कांड आदि। (ii) चुनाव के समय आर्थिक स्थिति जैसे मुद्रास्फीति, भोजन, कम उम्र, बेरोजगारी आदि। (iii) गुटबाजी - की एक विशेषता भारतीय राजनीति नीचे से ऊपर तक (iv) आयु - वृद्ध या युवा (v) लिंग - पुरुष या महिला (vi) शिक्षा - शिक्षित या अशिक्षित (vii) आवास - ग्रामीण या शहरी (viii) वर्ग (आय) - अमीर या गरीब (ix) परिवार और रिश्तेदारी (x) उम्मीदवार अभिविन्यास (xi) चुनाव अभियान (xii) राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि[9,10]

परिणाम

ग्राम पंचायत में मतदाताओं के मतदान व्यवहार पर प्रचार - प्रसार के साधनों टी°वी° , न्यूज़ पेपर आदि का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। क्या मतदाता प्रचार - प्रसार से प्रभावित होते हैं और इन सभी का अध्ययन अध्ययनकर्ता ने साक्षात्कार , अनुसूची व उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया है और इस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने पाया कि प्रचार - प्रसार के साधनों जैसे - टी°वी° , न्यूज़ पेपर , घोषणा - पत्रों , चुनाव - प्रचार आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो मतदाता को प्रभावित करते हैं। परन्तु इन सभी कारणों से भी प्रत्याशी का घर - घर जाकर चुनाव प्रचार करना मतदाता के मतदान व्यवहार को ज्यादा प्रभावित करता है।

अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रत्याशी का घर - घर जाकर वोट मांगना या अपना प्रचार करना ग्रामीण क्षेत्र में सफलता हासिल करना है , इसी से ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता प्रभावित होकर मतदान व्यवहार में भाग लेते हैं।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का आधार बिन्दू लोकतान्त्रिक प्रणाली है। लोकतान्त्रिक प्रणाली में राजनैतिक संगढ़नात्मक दल के नेतृत्वकर्ता एवं सभी प्रतिनिधि एक विशाल जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व करते है तथा जन समुदाय के प्रति उत्तर दायित्व होते है , क्योंकि सभी प्रतिनिधि जनता के जनमत द्वारा एवं जनसमूह में से निर्वाचित होते है। लोकतन्त्र में प्रतिनिधियों का चयन करने की प्रक्रिया ही चुनाव कहलाती है।

लोकतन्त्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का जनता के लिये तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन है। अतः लोकतन्त्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एक उचित प्रतिनिधि का चयन होता है।

चुनावों का सम्बन्ध केवल प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित नही है। अपितु इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है। चुनाव न्यूनतम राजनैतिक सहभागिता प्रदान करते है और शासितो के विशाल जनसमूह के लिये राजनीति में भाग लेने के लिये एक मात्र माध्यम है। इससे सरकार के प्रति अपनेपन एवं सरकारी निर्णयों के प्रति एक सीमा तक दायित्व की भावना छिपी रहती है।[11,12]

चुनाव से सम्बंधित एक अन्य पहलू मतदान व्यवहार भी है। मतदान व्यवहार एक ऐसा आन्तरिक व बाहय् तत्व हैं जिससे प्रभावित होकर चुनावी प्रक्रिया में मतदाता भाग लेता है। लोकतन्त्र में प्रतिनिधि का चयन प्रक्रिया में मतदाता की पूर्व एवं स्वेच्छा से भागीदारी हो इस कारण से मतदान व्यवहार का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

रामाश्रे रॉय (1965) ने फरूखाबाद चुनावी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के हारने के कारण पर अध्ययन किया और यह पाया की पार्टी में अन्दरूनी एकता की परेशनिया है। जो विरोधी पार्टियों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिये जानी गयी है। ये सभी कमियाँ चुनाव जीतने के लिये चुनावी विधियों का ज्ञान रखने के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया होने के लिये मतदाता के द्वारा मत देने में, जाति, वर्ग, धर्म आदि भी सामने आते है जिसका फायदा विरोधी पार्टिया उठा लेती है।

अग्रवाल (1971) ने ग्राम वासियों पर चुनावी प्रक्रिया के बारे में प्रभाव डालने वाले कारणों जैसे जाति धर्म वर्ग आदि और वहाँ की रीतियों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में पाया कि मतदान व्यवहार पर जाति, धर्म, वर्ग, रीतियों आदि का प्रभाव पड़ता है।

ए॰एस॰ नारंग (1998) में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में पाया किउचित शासक का निर्धारण निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा होता है तथा मतदान प्रक्रिया द्वारा मतदाता की राजनीतिक भागीदारी देखी जाती है। मतदान व्यवहार में मतदाता लगभग 60 प्रतिशत ही मतदान करते है तथा मतदान में मतदाता चेतना भावनाओं का अनुकरण करते है। राजनितिक दल घोषणा पत्र में समाज की मुख्य आर्थिक समस्याओं के निदान पर विचार केन्द्रित करते है और इसी के माध्यम से राजनीतिक दल अपना वोट बैंक पूरा करते है।

श्री प्रकाश मणी त्रिपाठी (2007) नेमतदान व्यवहार का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में यह पाया कि भारतीय मतदाओं का व्यवहार समय - समय पर बदलता रहता है। कभी वह जाति से प्रभावित होता है तो कभी धर्म उसके निर्णय को प्रभावित करता है। मतदाताओं के ऊपर क्षेत्रवाद के साथ - साथ भाषावाद, राष्ट्रीयता और धन का भी प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हमने पाया कि मतदान व्यवहार पर जितने भी अध्ययन हुये है उनमें से ज्यादातर अध्ययन मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों पर हुये है। जिसमें जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, धन आदि का प्रभाव अधिक देखा गया है और इन सब कारकों में जाति और धर्म अधिक प्रभावी पाये गये है।[13,14]

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने इन सब प्रभाव से हट कर कुछ नया खोंजने का प्रयास किया है। जो यह देखना चाहता है, कि प्रचार - प्रसार के साधनों जैसे टी॰वी॰, न्यूज पेपर, रेडियों आदि से मतदान के समय मतदाता के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान अध्ययन में निम्न लिखित प्रश्नों को समझने का प्रयास किया गया है।

(**क**) मतदाता की सामाजिक, आर्थिक पृष्टभूमि का अध्ययन।

(ख) मतदाता पर चुनाव के समय प्रचार - प्रसार के साधनों के प्रभाव का अध्ययन।

समाजशास्त्र में चुनाव अथवा निर्वाचन एक महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है और इसका अध्ययन करना इस विषय का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्रजातंत्रीय समाज में सभी व्यक्तियों को शासन सत्ता में समान अधिकार होता है, किन्तु सभी का शासन में भागीदार होना सम्भव नहीं है। अतः जनता द्वारा चुनाव प्रक्रिया के द्वारा उनके प्रतिनिधि शासन व सत्ता में भागीदार होते है और इस प्रकार अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करने के लिये जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसे ही हम मतदान व्यवहार कहते है। मतदान व्यवहार मतदाता का वह आचरण है। जिसके माध्यम से वह मतदान की प्रक्रिया करता है।

अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार मतदाता द्वारा किये गये मतदान का वह भाग है जो उसे राजनैतिक परिस्थिति के सन्दर्भ में किसी उम्मीदवार को हराना या जीताना होता है। मतदान व्यवहार सामूहिक निर्णय को प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया कही जा सकती है।

डोनाल्ड ई॰ स्टोक्स के अनुसार :- "मतदान व्यवहार व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक निर्णयों में समाहार करने का एक साधन है।"

धर्मवीर महाजन (1966) **के अनुसार** :- "मतदान व्यवहार से अभिप्राय मतदाता के मत देने तथा उसे प्रभावित करने वाले कारको से है।"

डॉ॰ लवानियाँ (2009) **के अनुसार** :- मतदान व्यवहार से तात्पर्य एक मतदाता के उस चुनाव व्यवहार से हैं जिसका प्रदर्शन वह चुनाव अभियान या मतदान में करता हैै।"

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

डॉ॰ निशान्त सिंह एवं स्वपनिल शाशवत (2003) **के अनुसार** :- "मतदान व्यवहार का तात्पर्य एक मतदान के उस चुनाव व्यवहार से है जिसका प्रदर्शन वह चुनाव के दौरान एवं मतदान के समय करता है तथा मतदान प्रक्रिया में एक मतदाता सरकार अथवा उन पर निर्णय देता है।[15]

निष्कर्ष

सोमजी (1969) ने गुजरात के एक गाँव में मतदाताओं द्वारा मतदान आचरण का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि अनेक बाह्य व आन्तरिक तत्वों से यह प्रभावित होता है और यह प्रभाव ही मतदान आचरण को प्रभावित करता है जिसके आधार पर मतदाता अपना मत देते है।

के॰ए॰ गुप्ता (1971) ने एक छोटे से कस्बे में वहाँ की मतदान व्यवहार की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया। सामाजिक व आर्थिक स्थिति को देखते हुए कस्बे में कई चुनावी प्रदर्शन हुए जो चुनाव को चुनावी कक्ष में जीतने के लिये समुचित माने गऐ।

गोविन्द राव वर्मा (1977) ने अपनी पुस्तक "भारतीय राजनैतिक व्यवस्था" में मतदान व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त किए है, कि भारत में धर्मो के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जाता है तथा चुनाव में धर्म, जाति तथा क्षेत्रियता के आधार पर मत एवं समर्थन प्राप्त किये जाते है। देहात क्षेत्र में जाति के आधार पर मतों एवं समर्थकों को एकत्रित किया जाता है। चुनाव व्यवहार में धन दल की विचार धारा एवं व्यक्तिगत प्रभाव अधिक प्रभाव डालते है।

डनलेवी (1983) ने मतदान व्यवहार को नऐ प्रारूप के रूप में दर्शाया। डनलेवी ने अपने अध्ययन में बताया कि उद्योग संघ के सदस्य श्रमिक वर्ग को मत देने के ज्यादा करीब होते है बजाय जो लोग संघ के सदस्य नहीं होते उनकी तुलना में।

डॉ॰ एम॰पी॰ राय (1985) द्वारा लिखित "भारतीय सरकार एवं राजनीति" में भारतीय केन्द्र एवं राज्यों के चुनाव, मतदान व्यवहार और रजनीतिक व्यवस्था पर अपने विचार दिये है। उनका कहना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में चुनावी व्यवस्था के लिये संवैधानिक प्रावधान है। मतदान में किशोर तथा वृद्ध की सहभागिता अधिक है। युवा वर्ग में कम तथा कुल मतदान 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत ही होता है जो भावनात्मक हित समूह के आधार पर दिया जाता है। चुनाव में मतदान व्यवहार क्षेत्रिय समस्याओं के निराकरण के अन्तर्गत होने लगे है। भाषायी विवादों, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति, पूर्व सामन्तवादी व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, विचार धारा, कार्यक्रम और नीति, साक्षरता का स्तर, जातिवाद तथा राजनीतिक स्थिरता आदि मतदान व्यवहार को प्रभावित करते है।[16]

डॉ॰ सुनील कुमार श्रीवास्तव (1995) ने जनपद स्तर पर मतदान व्यवहार का अध्ययन किया, जिसमें भारतीय साम्यवादी दल के अन्तर्गत मतदान व्यवहार को विश्लेषित किया गया है। निर्वाचन लोकतान्त्रिक सरकार की एक ऐसी जीवन पद्धति है। जिसके द्वारा मतदाता प्रत्याशियों के मध्य विभिन्न तत्वों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपने अभिमत को अभिव्यक्त करने का समान अवसर रखते है। मतदान व्यवहार के अन्तर्गत चुनाव प्रचार सैद्धान्तिक कम परन्तु पैसा, गुटबाजी, क्षेत्रियता तथा जातिगत आधार पर किया जाता है।

बी॰के॰ बाजपेयी (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिये तथा मत प्रक्रियाओं को जानने के लिए पेपर ही एक ऐसा माध्यम है जो इनके इस कार्य प्रणाली में मतदाताओं को मतदान देने के लिये मतदाताओं के ज्ञान उनका रवैया, उनके सोचने की शक्ति, उनका व्यवहार और कार्य करने का दृष्टिकोण उनके आचरण पर निर्भर करता है। सामाजिक - आर्थिक ढॉचे को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं के सामाजिक वर्ग, सामाजिक मतभेद, कार्य करने की प्रणाली एवं परम्परा और उनके ज्ञान स्तर तथा उनके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व एवं क्षेत्र में होने वाले कुछ विभिन्न मतभेदिक मामले में भी पेपर का महत्वूर्ण योगदान है। भविष्य में होने वाले राजनैतिक परिवर्तन, राजनैतिक उपलब्धियों के जानने का रास्ता भी पेपर ही माध्यम है तथा पेपर के द्वारा ही मतदान कार्य प्रणाली को सफलतापूर्वक सम्भावित होने के लिये महत्वपूर्ण स्तर है।

आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर सूचनादाता 18-25 आयु वर्ग, विवाहित, पुरूष, संयुक्त परिवार से है और ये सभी उत्तरदाता कृर्षि व्यवसाय से सम्बन्धित है, जिसके आधार पर यह

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 5, Issue 9, September 2018

कहा जा सकता है कि गाँव में आज भी कृर्षि - कार्य की प्रधानता है और जिनके मतदान व्यवहार पर प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार - प्रसार के साधनों - टी°वी° , न्यूज़ पेपर , ओडियो , विडियो माध्यम द्वारा गली - गली में प्रचार करना तथा मतदाता के घर - घर जाना और अपना प्रचार करना और घोषणा पक्ष (अजेन्डा) का निर्माण करना मतदाता को प्रभावित करता है। परन्तु सबसे ज्यादा प्रभाव मतदाता पर प्रत्याशी का घर - घर जाकर अपना चुनाव प्रचार करना डालता है। जिससे मतदाता ज्यादा प्रभावित होता है और अपना मत प्रत्याशी के पक्ष में डालता है।

अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार मतदाता के घर - घर जाकर करता है वह प्रत्याशी सफलता हासिल करता है और उसके सामने अन्य प्रत्याशी द्वारा अपनाये गये सभी प्रचार - प्रसार के साधन कमजोर पड़ जाते हैं।[17]

संदर्भ

1. शिल्स , एडवर्ड (1969): " पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन दि न्यू स्टेट्स ", ' ग्रावनहेग , लन्दन , पृ° 381
2. मैकेंजी , डब्ल्यू°जे°एम° (1967) : " इलेक्शन , इन डेविड सिल्स ", लन्दन , वाल्यूम - 5, पृ° 1-6
3. वर्मा , गोविन्दराम (1977) : " भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ", भरतपुर (राजस्थान) , पृ° 404-407
4. शर्मा , हरिशचन्द्र (1998) : " भारत में राज्यों की राजनीति ", जयपुर , पृ° 354-357
5. डॉ° धर्मवीर (1996) : " राजनीतिक समाजशास्त्र ", जयपुर , पृ° 205
6. कश्यप , सुभाष (1970) : " दल बदल और राज्यों की राजनीति ", मीनाक्षी प्रकाशन , मेरठ
7. नारंग , ए°एस° (1998) : " भारतीय शासन और राजनीति ", गीतान्जली पब्लिशिंग हाऊस , नई दिल्ली
8. स्टोक्स , डोनाल्ड ई° ' वोटिंग ' इन डेविड सिल्स (सम्पादित) , वाल्यूम 16, पृ° 387
9. कोठारी , रजनी (1960) : " डायरेक्ट एक्शन : ए पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ", जनवरी - मार्च
10. चक्रवर्ती , रॉबी (1962) : " स्टडीज इन वोटिंग बिहेवियर फोल्ट् - दि डिक्लाइन ऑफ दि लेफ्टइन कैलकटाः मछीपारा कान्स्टीट्यूऐन्सी ", इकॉनामिक वीकली , वाल्यूम 14 (34), पृ° 1381-86
11. झॉ , श्री नागेश (1966) : " बाय - इलेक्शन इन ए बिहार असेम्बली कान्सटीट्यूऐन्सीस्टडी इनवोटिंग बिहेवियर ", इकॉनोमिक एण्ड पालिलिटक्ल वीकली , पृ° (10), पृ° 417-20
12. सिंह निशान्त एवं शाश्वत स्वप्निल , (2003) : " लोकतंत्र और चुनाव सुधार ", राधा पब्लिकेशन , नई दिल्ली , पृ° 24
13. प्रो° श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (2007) : " राजनीतिक अवधारणाएँ एवं प्रवृत्तियाँ ", ज्ञानदा प्रकाशन , नई दिल्ली , पृ° 137
14. चक्रवर्ती , मानस एण्ड तमंग , विनिता रबैका (2006) : " केरला - ए स्टडी ऑफ इलेक्टोरल डाइनामिक्स एण्ड वोटिंग बिहेवियर , 1957-2004", द इण्डियन जर्नन ऑफ पॉलिटिकल साइन्स , वोल्यूम 1, जनवरी - मार्च।
15. बाजपेयी , बी°के° (2012) : " नॉलिज , एटिट्यूड , बिहेवियर एण्ड इलेक्टोरल प्रेक्टिसिस ऑफ वोटर्स इन उत्तर प्रदेश " द इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकलसाइन्स , वाल्यूम नं° 4, (अक्टूबर - दिसम्बर) पृ° 763-786,
16. हिरोनिम कुबैक (1998) : " जीनियस ' लॉसी ' एण्ड वोटिंग बिहेवियर ", पॉलिश सोश्योलॉजिकल रिव्यू , वाल्यूम नं° 4, नं° 124, पृ° 357-373
17. बर्नहार्ड बुकमैन (2006) : " पार्टिसिपेशन एण्ड वोटिंग इन कमेटीस : एविडेन्स फ्रॉम दि ILO", पब्लिक च्वाइस , मार्च , पृ° 405-427